



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042024-253642
CG-DL-E-10042024-253642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1577]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2024/चैत्र 21, 1946

No. 1577]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2024/CHAITRA 21, 1946

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2024

का.आ. 1662(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को, तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है:

- प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) सच्चिदानंद मोहंती, पूर्व कुलपति, ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय;
- प्रोफेसर शशिकला गुलाबराव वंजारी, कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.), नई दिल्ली;
- श्री आशीष कुमार चौहान, कुलाधिपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एमडी एवं सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई; और
- श्री श्रीधर वेम्बू, सी.ई.ओ. और संस्थापक, जोहो कॉर्पोरेशन।

[फा. सं. 7-2/2023-U1A]

रीना सोनोवाल कौलि, संयुक्त सचिव